राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांक : मु0/कार्मिक/1सी/010/ दिनांकः–

विज्ञापन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वित्तीय वर्ष 2009–10 में राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम 1965 के नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत निम्न पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 20.04.2010 तक इच्छुक पात्रता/योग्यताधारी प्रत्याशियो से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0सं0	नाम पद	भर्ती हेतु प्रस्तावित पद
01	चालक	190
02	परिचालक	472
03	आर्टिजन ग्रेड द्वितीय	12
04	आर्टिजन ग्रेड तृतीय	119
	योग	793

पात्रता :–

1. चालक पद पर भर्ती हेतु पात्रताः–
   1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
   2. भारी वाहन चलाने का लाईसेन्स व बैज
   3. भारी वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव
   4. सीनियर सैकण्डरी पास/भूतपूर्व सैनिक या निगम द्वारा प्रशिक्षित को प्राथमिकता
   5. परिचालक का लाईसेन्स व बैज अनिवार्य
2. परिचालक पद पर भर्ती हेतु पात्रताः–
   1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
   2. परिचालक का लाईसेन्स एवं बैज आवश्यक होगा।
   3. भारी वाहन चलाने का लाईसेन्स अनिवार्य ।
3. आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के पद पर भर्ती हेतु पात्रताः–
   1. मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
   2. मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई प्रमाण पत्र
   3. निगम कार्यशाला में अप्रेन्टिशिप करने वालो को प्राथमिकता
4. आर्टिजन ग्रेड तृतीय के पद पर भर्ती हेतु पात्रता
   1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आठवीं उत्तीर्ण
   2. मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई प्रमाण पत्र
   3. निगम कार्यशाला में अप्रेन्टिशिप करने वालो को प्राथमिकता

विशेषः– आर्टिजन ग्रेड द्वितीय/तृतीय के पद पर डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल बाडी बिल्डर,वेल्डर, टिनस्मिथ (रेडियेटर वर्क), इलेक्ट्रीशियन(ए.सी/डी.सी.), पेन्टर(सामान्य) ट्रेड से I.T.I. प्रमाण पत्र धारी ही आवेदन करें।

5. **वेतनमान –**

i- चालक एवं परिचालक के पद पर चयन होने पर प्रथम दो वर्ष तक रूपये 6100/– प्रतिमाह फिक्स पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा। तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान, रनिगं पै बैडं 5200–20,200 ग्रेड पे 1900 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।

ii- आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के पद पर चयन होने पर प्रथम दो वर्ष तक रूपय 6100/– प्रतिमाह फिक्स पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा। तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान, रनिगं पै बैडं 5200–20,200 ग्रेड पे 1900 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।

iii- आर्टिजन ग्रेड तृतीय के पद पर चयन होने पर प्रथम दो वर्ष तक रूपये 5900/– प्रतिमाह फिक्स पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा। तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान रनिगं पै बैडं 5200–20,200 ग्रेड पे 1850 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।

6. **आयु** : चालक पद हेतु दिनांक 01.01.2010 को न्यूनतम 21 वर्ष परिचालक एवं आर्टिजन ग्रेड द्वितीय एवं तृतीय पद हेतु दिनांक 01.01.2010 को न्युनतम आयु 18 तथा अधिकतम 33 वर्ष (अनुसूचित जाति/जन जाति एवं भू0पू0 सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं पिछड़ी जाति को 2 वर्ष की छूट)
7. अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप क्रमशः 16%, 12%, 21% आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु तहसीलदार/उप खण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. 'ऐसा कोई भी अभ्यर्थी' जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. प्रत्याशियो को ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार/चिकित्सा जाँच आदि में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। केवल अनुसूचित जाति/जन जाति प्रत्याशियो को न्यूनतम दूरी का परिवहन निगम का निःशुल्क यात्रा पास उनके निवास स्थान के निकटतम आगार से देय होगा।
11. चालक एवं परिचालक पद पर, चयनित प्रत्याशियो को नियुक्ति से पूर्व 1000 रूपये (एक हजार रूपये) बतौर प्रति भू राशि जमा करानी होगी।
12. जिस पद हेतु आवेदन किया है उस पद का नाम आवेदन फार्म एवं लिफाफे पर आवश्यक रूप से अंकित करें, साथ ही आवेदन पत्र स्वंय की हस्तलिपी में एवं सुस्पष्ट,पठनीय में भरा हुआ हो तथा आवेदन पत्र में ओवरराइटिंग एवं काट–छाँट स्वीकार नही होगी। आवेदन पत्र आगार कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
13. आवेदन पत्र के साथ स्वंय का पता लिखा हुआ एवं पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ 5X9 सेंटीमीटर का लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है।
14. आवेदन पत्र सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय से मय मोहर लघु हस्ताक्षर से निःशुल्क जारी प्रारूप में एवं निगम की वेबसाइट से प्राप्त मूल प्रारूप में ही भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित दिनांक 20.04.2010 को सांयकाल 5.00 बजे तक सम्बन्धित आगार में जहाँ से आवेदन प्राप्त किया है, के कार्यालय में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण तथा निर्धारित तिथि 20.04.2010 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी। निगम आगार कार्यालय से जारी आवेदन पत्र अथवा निगम की वेबसाईट से डाउनलोड आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी तरह का आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा तथा अभ्यर्थी द्वारा सीधे ही निगम मुख्यालय में प्रेषित कोई आवेदन पत्र भी स्वीकार नही होगा।

15. भर्ती के दौरान इन विज्ञापित पदों में कमी अथवा बढोतरी की जा सकती है। तथा आगामी वर्षो में की जाने वाली भर्तियो के लिये शेष चयनित प्रत्याशियों का पेनल बनाया जा सकता है।

16. भर्तियो हेतु निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति/एजेन्ट/संस्था/कम्पनी को भर्ती के पदों हेतु आवेदन पत्र का वितरण या उन्हे जमा कराने तथा अन्य कार्य हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। अतः निगम के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/एजेन्ट/संस्था/कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही के लिए निगम किसी भी तरह उत्तरदायी नही होगा। भर्ती के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ही सम्पादित की जावेगी।

17. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग प्रत्याशी को 300/– रू. एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशी को 75/–रू. का पोस्टल आर्डर सम्बन्धित आगार के मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम संलग्न कराना होगा । निर्धारित आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।
18. पूर्व में विज्ञापन संख्या 202/2004–05 के तहत आर्टिजन ग्रेड–।।। के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
19. भर्ती के सम्बन्ध में किसी तरह का अन्य पत्राचार/सिफारिश स्वीकार नही होगी, अभ्यर्थियो का चयन उनकी शिक्षा में प्राप्त प्राप्तांको की मेरिट, ट्रेड टेस्ट एवं निगम द्वारा निर्धारित अन्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
20. चयनित अभ्यर्थियो की सेवायें राजस्थान परिवहन निगम वर्कस एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश–1965 के तहत शासित होगीं, तथा चयनित अभ्यर्थियो का पदस्थापन निगम के किसी भी कार्यालय/कार्यशाला में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
21. उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

सदस्य सचिव
सेवा चयन मण्डल